फोन/Phone: 91-22-6656 5656
91-22-66564021
ई-मेल/Email: dc@mumbaiport.gov.in
वेबसाइट/Website:www.mumbaiport.gov.in

मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Mumbai Port Authority

150
Harbour of Progress & Prosperity

उप संरक्षक का कार्यालय,
समुद्री विभाग, पोर्ट भवन, पहला माला
शूरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टेट
मुंबई - 400 001
Dy. Conservator's Office,
Marine Department,
Port House, 1st floor,
Shoorji Vallabhdas Marg,
Ballard Estate, MUMBAI - 400 001.

SAGARMALA
PORT-LED PROSPERITY

G20
भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

सं. : उ.सं/परि.नौ /2026/ 1098

27 APR 2026

सेवा में,
1. पत्तन के सभी उपयोगकर्ता
2. मनसा/इनसा
3. सभी जलयान/टैंकर के मालिक/परिचालक/प्रबंधक/चार्टर/एजेंट
4. एससीआई/ओएनजीसी/एचपीसीएल/बीपीसीएल/आईओसीएल/एईजीआईएस
5. सभी बार्ज के मालिक/परिचालक/प्रबंधक/चार्टर/एजेंट
6. सभी टग, नाव, ओएसवी और लाँच के मालिक/परिचालक/प्रबंधक/चार्टरर्स/एजेंट

परिपत्र

विषयः मानसून की तैयारी

मुंबई पत्तन से दूर अरब सागर में मानसून के दौरान मौसम की गंभीर स्थितियों के कारण सभी सम्बंधित पार्टियों नौवहन महानिदेशालय/आई.एम.ओ द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए और समय-समय पर विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्देशित सुरक्षित नौचालन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त, मानसून की तैयारी में निम्नलिखित बिंदु शामिल किए जाने चाहिए:

1. **मौसम की निगरानी:** सभी उपलब्ध साधनों एवं तकनीक का उपयोग करते हुए मौसम पूर्वानुमानों की निरंतर निगरानी करें। मौसम की वर्तमान स्थिति के आधार पर निवारक एवं सावधानी के उपाय करें।

2. **प्रतिकूल मौसम की तैयारी:** एजेंट, मालिक, प्रबंधक एवं मास्टर यह सुनिश्चित करें कि उनकी नौकाएँ मानसून के दौरान मौसम की संभावित प्रतिकूल स्थितियों के लिए तैयार हों।

3. **सुरक्षित मैनिंग:** सभी नौकाओं पर सुरक्षित मैनिंग की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध हों।

4. **पर्याप्त रसद:** मौसम की तत्कालीन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, नौकाओं पर पर्याप्त बंकर, रसद और साफ़ एवं ताजा पानी होना चाहिए।

5. **मौसम की जानकारी:** मालिकों, एजेंट और चार्टर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मास्टर को मौसम के नवीनतम पूर्वानुमानों के साथ निरंतर अद्यतन किया जाए और वह सुरक्षित प्रक्रियाओं का पालन करे।

6. स्टैंडबाय टग: यह सुनिश्चित करें कि बिना प्रोपल्शन की नौकाओं के लिए, मौसम की तत्कालीन स्थिति के अनुसार उपयुक्त क्षमता और संख्या के स्टैंडबाय टग उपलब्ध हों।

7. अनुपालन की ज़िम्मेदारी: उपरोक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के कारण होने वाले किसी भी विचलन या घटना/दुर्घटना के लिए मास्टर, मालिक, प्रबंधक और एजेंट जिम्मेदार होंगे।

8. प्रमाणपत्रों की वैधता: सभी वैधानिक प्रमाणपत्र जिनमें पी एंड आई तथा क्लास प्रमाणपत्र शामिल हैं (परन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं), हर समय वैध होने चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन, अनुपालन न करना माना जाएगा।

9. इंजन की तैयारी: जलयानों को मौसम की मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने इंजन को अल्पसूचना पर तैयार रखना होगा। बंदरगाह में सभी जलयानों को उपयुक्त पत्तन वीएचएफ चैनल पर ध्यान देना चाहिए।

10. अतिरिक्त मूरिंग रस्से: रस्से के टूटने या अतिरिक्त मूरिंग की आवश्यकता की स्थिति में जलयानों को अतिरिक्त मूरिंग रस्से साथ रखने चाहिए। मूरिंग रस्से अच्छी स्थिति में होने चाहिए।

11. प्रबल ज्वार: 9 फ़ीट या उससे अधिक ऊंचाई वाले ज्वार को प्रबल ज्वार माना जाता है।

12. चक्रवाती मौसम: मानसून के दौरान, पत्तन को अत्यधिक ज्वार का सामना करना पड़ सकता है साथ ही 40-45 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज़ हवाएं और भारी वर्षा के दौरान शून्य दृश्यता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।

प्रवीण 12.05.26

कप्तान प्रवीण कुमार सिंह
(उप संरक्षक)

प्रतिलिपि:

अध्यक्ष की जानकारी के लिए - अध्यक्ष के निजी सचिव ।
उपाध्यक्ष की जानकारी के लिए - उपाध्यक्ष के निजी सचिव ।
प्रधान अधिकारी, मर्केंटाइल मरीन विभाग, मुंबई ।
नौवहन महानिदेशक, मुंबई ।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड ।
मत्स्य पालन आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार ।
उप संरक्षक, जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण ।
यातायात प्रबंधक, मुंबई पत्तन प्राधिकरण ।
प्रवर गोदी प्रमुख, इंदिरा गोदी ।
गोदी प्रमुख, जवाहर द्वीप एवं पीरपाव ।
गोदी प्रमुख, नियंत्रण स्थानक।